न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 134/25

1. पुष्पा पुत्री जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. किशनी पुत्री जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. मूलकंवर पत्नि शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. ओमसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. लालबहादुरसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. कुनणाकंवर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. असमानकंवर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. छेलुकंवर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. विमलाकंवर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. उम्मेदसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. केशवसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. विजयसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
12. सवाईसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
13. लिछमाकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
14. असमानकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
15. हवाकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. गोमदसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
17. घेवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
18. दयालसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
19. सतुसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
20. डूंगरसिंह पुत्र जेठमलसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
21. सायरकंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
22. प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
23. महावीरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

24. पुष्पसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
25. विरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
26. शिवसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
27. प्रेमकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
28. भेरूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
29. कमलसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
30. मनरूपसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
31. अजयसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
32. गजयसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
33. देवीसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
34. अनोपकंवर पत्नि चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
35. मोहनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
36. असमानकंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
37. हवाकंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
38. कालीकंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
39. भेरूसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
40. दलीपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
41. ईचुकंवर पुत्री लालसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
42. उछवकंवर पुत्री लालसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
43. रूपकंवर पत्नि बजरंगसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
44. छेलुसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
45. जयसिंह पुत्र बजरंगसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
46. पारा पत्नि सादुलसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
47. हुकमसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
48. किरणकंवर पत्नि राजुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
49. उमेदकंवर पत्नि उमेदसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
50. नरपतसिंह पुत्र उमेदसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
51. बबलुसिंह पुत्र उमेदसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
52. कंचनकंवर पुत्री उमेदसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
53. संतोषकंवर पत्नि कालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

54. प्रदीपसिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
55. किशोरकंवर पत्नि रूपसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
56. सायरकंवर पत्नि समानसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
57. रतनसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
58. उप पंजीयक अधिकारी, उप तहसील कातर छोटी जिला चूरू
59. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
60. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. करणीसिंह पुत्र जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. समुन्द्रसिंह पुत्र जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. हंसा पुत्री जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. बिदामी पुत्री जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. जसुकंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मैनाकंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एंव रेकार्ड संशोधन बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30-4-26

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम रेडा के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत साबिका खसरा संख्या 136 मिन एक सौ छतीस तादादी 20 बीस बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 160 एक सौ साठ तादादी 3.4146 तीन दशमलव चार एक चार छः हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि सम्वत् 2012 की जमाबंदी में वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज स्थित है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2021 में वादगत भूमि वर्तमान खसरा संख्या 160 एक सौ साठ तादादी 13 तेरह बीघा 10 दस बिश्वा भूमि वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज स्थित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2023 तक में वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पूर्णसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम रेडा का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बताया है। वादगत भूमि की वर्तमान तहसील बीदासर तत्कालिन तहसील सुजानगढ में सम्वत् 2028 तक सेटलमेंट का काम चला था। सेटलमेंट का काम पूर्ण होते ही ज्यों ही नया राजस्व रेकार्ड तैयार हुआ उसमें वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह का नाम सेटलमेंट के कर्मचारीयों ने जान बुझकर हटा दिया। जबकि वादगत भूमि वादीगण के पिता जालुसिंह के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग खातेदारी अधिकार की भूमि थी। सेटलमेंट के कर्मचारीयों को इस प्रकार से किसी खातेदार का नाम खातेदारी से हटाने का अधिकार नहीं था। वादगत भूमि के वर्तमान खातेदारों के पूर्वजों ने सेटलमेंट के कर्मचारीयों के साथ मिलिभगत कर वादीगण के पिता का नाम वादगत भूमि से हटवा दिया जो कि कानूनन खिलाफ है। सेटलमेंट के कर्मचारीयों को केवल रेकार्ड की प्रविष्टियों को दोहराना था। सेटलमेंट के कर्मचारीयों के पास किसी खातेदार का नाम खातेदारी से हटाना व उसकी जगह नया नाम जोडकर उसको खातेदारी देने का अधिकार नहीं था। फिर भी सेटलमेंट के कर्मचारीयों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण के पिता जालुसिंह का नाम खातेदारी से हटा दिया जो कि कानूनन खिलाफ है। वादीगण का पिता जालुसिंह भोला भाला अनपढ व्यक्ति था जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए वादगत भूमि के वर्तमान खातेदारों के पूर्वजों ने सेटलमेंट कर्मचारीयों से मिलिभगत करके वादगत भूमि अपने अकेले के नाम अंकित करवा ली और वादगत भूमि से वादीगण के पिता जालुसिंह का नाम हटवा दिया। वादगत भूमि पर जालुसिंह के जीवनकाल में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग जालुसिंह का था। जालुसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का रहा है जो आज दिनांक को भी है। इस कारण वादगत भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि है। पैत्रिक सम्पति में पुत्र पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। वादीगण की माता रूखमाकंवर का स्वर्गवास हो चुका है। जालुसिंह के पुत्र मेघसिंह व मेघसिंह की पत्नि कमलाकंवर का भी स्वर्गवास हो चुका है। मेघसिंह के जायज वारिस गौण प्रतिवादी संख्या 5 पांच ता 6 छः है। गौण प्रतिवादी संख्या 3 तीन ता 6 छः ने वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि कई वर्षों पूर्व ही वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो के पक्ष में छोड दी थी। इस कारण वादगत भूमि सम्पूर्ण पर वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो का ही है। वर्तमान कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के आधार पर वादगत भूमि सम्पूर्ण को वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो अपने नाम से खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। वादगत भूमि वादीगण की पुस्तेनी भूमि होने व गौण प्रतिवादी संख्या 3 तीन ता 6 छः द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो के पक्ष में कई वर्षों पूर्व ही छोड देने के कारण वादगत भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चुरू)

2 दो प्रत्येक का 1/4 एक बट्टा चार हिस्सा कायम हो गया है जिसको वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो अपने नाम से ब.हि.ब. खातेदारी में दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादगत भूमि की खातेदारी वादगत भूमि के वर्तमान खातेदारों के पूर्वजों ने सेटलमेंट के कर्मचारीयों से मिलकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी जो वादीगण के मुकाबले शुन्य है। इस कारण घोषित किया जावे कि वादगत भूमि का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादीगण के मुकाबले शून्य है तथा वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो प्रत्येक वादगत भूमि में 1/4 एक बट्टा चार हिस्सा भूमि के खातेदार कृषक है। वादगत भूमि वादीगण की पुस्तैनी भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन के नाम दर्ज खातेदारी को संशोधित किया जाकर वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो प्रत्येक के नाम 1/4 एक बट्टा चार हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जावे व वादगत भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन का नाम हटाया जावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन से दिनांक 20.08.2025 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि की खातेदारी में संशोधन कराये। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन ने साफ इन्कार कर दिया ओर वादीगण को ऐलानीया तौर पर धमकियां दी की वोह वादगत भूमि में प्रवेश नहीं करें अन्यथा परिणाम बुरा होगा। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन ने वादीगण को धमकियां दी है कि हम इस वादगत भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करके वादगत भूमि को विक्रय, हस्तांतरण करके ही रहेगें। इस दोषपूर्ण कृत्य में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन सफल हो गये तो वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से वंचित होना पडेगा। जिससे वादीगण को अपूर्तिय क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन को जरीये चिर निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड में जब तक संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत भूमि के किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का कराये। ना ही वादीगण को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटे आदि पैदा स्वयं करे या किसी अन्य से कराये जिससे वादीगण के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। वादगत भूमि वादीगण की पुस्तेनी भूमि होने से व वादगत भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 57 सतावन द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80 (2) सी.पी. सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

के कारण एंव प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण के साथ गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो वर्तमान में गांव से बहार होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उसे वाद में गौण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दो के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार केशर पत्नि जेठमलसिंह, चन्द्रसिंह पुत्र सुलतानसिंह, नारायणसिंह पुत्र जेठमलसिंह, भंवरसिंह पुत्र उदयसिंह, राजुसिंह पुत्र सादुलसिंह, लालसिंह पुत्र सुलतानसिंह, सुगनकंवर पत्नि कल्याणसिंह, हनुमानसिंह पुत्र फेफसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिसान को वाद में पक्षकार प्रतिवादी संयोजित किया जा चुका है। वाद वादीगण घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 59 व गौण प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 59 व गौण प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में किसी प्रतिवादी की ओर से विरोध नहीं करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत 2073–2076, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2010, पर्चा मिलान पेश किया है जो जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह के नाम से है। जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है। वादीगण ने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस वादीगण वकील की सुनी गई। वादीगण वकील ने भी अपनी बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। वादीगण वकील ने अपनी मौखिक बहस में वादगत भूमि के संबंध में घोषणा, रेकार्ड संशोधन व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री की मांगी की है। वादीगण वकील की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण की पुस्तैनी भूमि है। ओर पुस्तेनी भूमि में वादीगण का हित नियत है। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि है। वादगत भूमि वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह के खातेदारी अधिकार की है। वादगत भूमि वादीगण के पिता जालुसिंह पुत्र पूर्णसिंह के नाम होने से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक का हिस्सा बनता है। लेकिन गौण प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 द्वारा अपनी हिस्सा भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में छोड दी गई है। वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 160 तादादी 3.4146 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम रेडा में वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब. खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार बीदासर को आदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि रोही रेडा खसरा संख्या 160 तादादी 3.4146 हेक्टेयर पुष्पा, किशनी, करणीसिंह, समुन्द्रसिंह पिता जालुसिंह जाति राजपुत निवासी रेडा के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। वर्तमान खातेदारों का नाम हटाया जावे। प्रतिवादीगण को जरीये चिर निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण व गौण प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी ना करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)